



SHORTHAND INSTITUTE
SKILLS TODAY | BETTER TOMORROW

रामधारी

खंड 01

रामधारी

रामधारी



www.shorthandinstitute.in

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 01

सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की माँगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मौटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों, के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए, वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे, तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उस का डटकर सामना कर सकें।

आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमरीका और चीन से काफी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमरीका ने पाकिस्तान को 15 सौ करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहाँ हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हम को भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की डेढ़ लाख फौज खड़ी है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 02

सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उन के मुकाबले में खड़ी हैं, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं। लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उन को अच्छे-अच्छे हथियार दे। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है, वह तीन साधनों से उपलब्ध होता है – केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी, उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हम को उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा।

जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत-सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं, और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत-सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे, राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करें।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 03

सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं, हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25 प्रतिशत ज्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं, यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें।

हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो-रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को दो रुपए मज़दूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मज़दूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएँ। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए? कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए ? समझ में नहीं आता है।

यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़-भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है। तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं ? लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मज़दूर की परवाह नहीं है जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी ? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे ? आप इन सब पर सोच-विचार करें। आपने बड़े-बड़े फार्म बना दिए हैं। क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है ?



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 04

सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएँ, बड़े-बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएँ तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे?

जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने दस वर्ष तक अपनी विधान सभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने, उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी। अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े-बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले। देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्यसमाज संगठन से संबंध रखता हूँ।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 05

उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय-व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उन से बहुत-सी आशाएँ थीं। देश में लगभग 6 लाख गाँव हैं, उनमें जो बेरोज़गारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएँ थीं और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं।

इस दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं - देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहाँ तक इन तीन उद्देश्यों का संबंध है हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है।

लगभग पाँच दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे, वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं, धन से उनको मोह नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए, जिस तरह से अंग्रेज करते थे।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 06

उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं, जिस तरह से पहले चल रहे थे। लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान्, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ।

श्रीमान्, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता, प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्तमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था, उन्हें स्मरण है और वह तन-मन-धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोज़गारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान्, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है। परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएँ और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे-छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाएँ, जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सकें। देश तभी प्रगति करेगा हमारा ऐसा विश्वास है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 07

अध्यक्ष महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना का अब अंतिम वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीजें कही गई हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है। बदला भी नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें की जा सकती हैं। उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है, यह तय नहीं किया गया। केवल कटौती ही निश्चित की गई है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया था कि इस पंचवर्षीय योजना का आशय कुछ सरकारी पक्ष से भी बताया है। इसके अंदर कमियाँ हैं और बहुत-सी कमियाँ हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रश्न न उठाए जाएँ तो ज्यादा अच्छा है। यह योजना सरकार ने बनाई है। यह योजना मंत्रिमंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो यह कमी रहने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं।

बहुत-से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए, जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है। तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज उठाएँ, इस बात की आज ज्यादा जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी योजनाएँ बनाई, उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बड़ा बुरा किया, यहाँ के साथ अन्याय किया क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं। गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं। इनसे क्या लाभ-हानि होगा इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है। ऐसी दशा में यहाँ पर पाँच वर्षों में आने वाली योजनाएँ बेकार बनकर रह जाएँगी। जो कटौती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श नगर बना सकें। यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम इस स्थान की उन्नति चाहते हैं। इसलिए अब मैं अपना कथन इन शब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ।

ShorthandGuru.com



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 08

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दसवीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नजर नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा-पत्र देखा, गलत घोषणा-पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा-पत्र समझ बैठे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा-पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा-पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएँ बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े-बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएँ बनाईं लेकिन योजनाएँ ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफी दोष थे जिसके कारण ये योजनाएँ लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकीं। लोग दुखी ही रहे।

मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को उँचा करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन हमारे सामने आँकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने अब तक नौ पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की हैं लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवनस्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सकें, उनका आर्थिक विकास कर सकें, उन्हें उन्नत कर सकें।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 09

सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपिता के हैं। जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा हुआ है। आज 54 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं लेकिन राष्ट्रपिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में एक वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए।

सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता-पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता-पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं। हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं लेकिन स्वयं उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही साथ हमको शिक्षा- प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि चौदह वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इस का उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत-सी बातों पर कार्यान्वयन कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 10

सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है, वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी-अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है, वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर, उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उस से बुरे परिणाम ही निकले हैं, कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है।

जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्रायः यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेष कर के किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेश-भूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 11

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएँ चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह संस्वीकृत नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत-सी हड़तालें हो सकती हैं। मजदूर काम से बरी हो सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं। छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं ज्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए यह सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें।

सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपये के बड़े-बड़े वेतन ले रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की मिसिलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय-समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूँ की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज्यादा होता है इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि न हो।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 12

अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एकमत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल-शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है। जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल-शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत-से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत-से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे।

लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दुबारा फिर दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 13

महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविष्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त न हो, उसका उपयोग वह न कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में उस सबसे भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ-साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है, उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि पेटेंट ला के पीछे दो सिद्धांत निश्चित हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके, धन लगाकर, अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहाँ रक्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है वरन् पिछले समाज के लोगों ने जो-जो काम किए होते हैं चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में और जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है उसको उस का प्रतिफल तो मिले लेकिन जो परिणाम हो, उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहाँ हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो, या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का, दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को भी मिले।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 14

महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है उसमें भी उसका उपयोग पूरा-पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेन्ट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है। हमें इस बात का अभिमान है कि हम करोड़ हैं। हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएँ और कई प्रकार के रीति-रिवाज़ हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक-वृत्ति से राज्य का काम संभाला था उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर, उसके संरक्षक बनकर, हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी, गरीब सब के घरों में प्रकाश पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सब को एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी-निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे, अब वह समय आ गया है जब कि हमें अपने दिए हुए उस वचन को सार्थक करना है।

इतने बड़े देश में विचार-भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी हैं या नहीं। यदि हैं तो समान कार्यक्रम बनाइए। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते-होते एक दिन मिट जाएँगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएँगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 15

अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है वरन, वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमरीका को ले सकते हैं। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा, जो उधार पर माल ले सकते हों। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएँगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लगा दिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें।

श्रीमन, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यू०एन०ओ० का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगा कर एक विकास का खाता खोल दिया जाए ? जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों का एक घंटा हमारे देश के मजदूरों के घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन हैं। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे। लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए ? आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या – 16

अध्यक्ष जी, जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशासन को केवल दो ही प्राप्त हुए हैं जब कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्धकाल में सराहनीय कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेल मंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोत्साहन मिलें उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए।

रेल मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है या उनको प्रोत्साहन दिलाया है। लेकिन यह प्रोत्साहन शांति- काल में भी बना रहना चाहिए। रेलवे ने युद्धकाल में जो काम किया वह तो देश की रक्षा का महान उद्देश्य था लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरीके से बना रहे इसके लिए भी रेल मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वह किसी भी तरीके से करें उनका तरीका कुछ भी हो लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं जो भी रेलवे को मुनाफा हो उसमें वह साझीदार हों। चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें चाहे किसी और तरीके से दें लेकिन हर वर्ग के रेलवे कर्मचारी को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंश के रूप में अपने वेतन के अलावा पैसा मिलेगा। इसी प्रकार इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद रेल प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया लेकिन यह लोकसभा एक विशेष उद्देश्य को लेकर चुनी गई है। यह उस कार्यक्रम का एक नमूना ही है। गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला था। धन को वे संयम से व्यय करने के हक में थे।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या-17

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उन का बोझ बढ़ाना नहीं चाहता।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊँचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उस के आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हम को पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है।

जिस समय हमने नई-नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत-से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जोकि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊँचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जोकि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ हैं वे साथ-साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है सह-अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण, हमारे अमरीकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए। लेकिन यदि हम ऐसा न करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 18

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाएँ तो यह देखें कि हम इसमें से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज का मूल्य क्या हो, महँगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गाँधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज का रुपए-पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महँगी मिलती है।

इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है, उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा मैं समझता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत-से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है। उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करीब सात लाख आदमी नौकरियों के लिए प्रार्थी हैं जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है। इनके अतिरिक्त कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही आधी बेकारी की हालत में हैं और श्रम विभाग उन बेकारों और आधी बेकारी वालों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सकें उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएँगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जो भी नया काम आरंभ होता है, उसका दायित्व श्रम विभाग पर रहता है। धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 19

महोदय, जब तक अहिंदी-भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती। और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें। परंतु जो वे लिखें, उसको आप गलत न समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले पाँच-छह सौ वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी-भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी-भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योगदान दिया जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा।

मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई-लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी।



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 20

महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ। जब मैं छोटा था और कालेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत-सी बातें छपा करती थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समुरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद एक-दो वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग-अलग स्थापित हो गई थीं और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बँटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं।

उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते। उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत-से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश-प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए।

हममें परस्पर कभी-कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है जिसके कारण कभी-कभी लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 21

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

यद्यपि भिन्न-भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएँ की गई हैं लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन-किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें बार-बार बधाई देता हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाएँ। उदाहरण के रूप में विगत दो वर्षों में लेखा-जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में दो-तीन इस प्रकार की त्रुटियाँ मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जाँच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय-समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दाँत खट्टे किए जिसके कि ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसा कर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 22

अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की माँगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है, उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है, शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मदद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आबंटित की गई है, वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग और समितियाँ बैठीं और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई, बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियाँ पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरह की बहुत-सी रिपोर्ट हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत-सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है।

इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है। लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राज नेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 23

महोदय, जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है वह देश का एक ऐसा नया चित्र उपस्थित करता है, जो चित्र उम्मीद का है, आशा का है, सफलता का है। इसमें नए कर ज्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि सभी लोगों पर उस का बोझ पड़ता है। इससे भी उनको निराशा हुई है। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है यह है कि एक दो वर्ष देश को लेन-देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था, वह कठिनाई दूर हो गई है और मैं सदन की तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है। मेरे मित्रों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी सहायता बहुत ज्यादा और तेजी से पहुँच रही है, और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई। कम्युनिस्ट इसलिए भी परेशान हैं कि पिछले एक दो वर्षों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है औद्योगिक पैदावार बढ़ी है यह उनके लिए निराशा का कारण बना है। उनकी निराशा इसलिए भी बढ़ी है कि उन का मालिक, उनका मित्र, हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है। और क्यों इतनी अच्छी छवि उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है, उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है, और मैं समझता हूँ कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए सबसे बड़े बधाई के भाषण हैं।

दो-तीन और चीजों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन की ओर दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आपका ध्यान दिलाया है। हमारी सरकार का ध्यान भी उस ओर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जब चीजों की पैदावार बढ़ रही है, जब देश उन्नति की तरफ जा रहा है, तब भी देश में कीमतें बढ़ रही हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 24

महोदय, यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता, गलत है। इस महँगाई को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने होंगे, कुछ विशेष काम करने होंगे। एक विशेष चीज जो इस बजट में आई है और जो घबराहट पैदा करने वाली है, यह है कि देश की पैदावार तो बढ़ रही है, देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देश में बेकारी बढ़ रही है और खासतौर पर पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी बढ़ रही है। लोगों का बेकार होना खतरनाक चीज है। हमारी स्वतंत्रता के बाद शायद यह पहला अवसर है जब हमारी स्वतंत्रता के ऊपर एक आघात हुआ है और हम जिस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार थे उसी प्रकार इस समय भी हमें तैयार होना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मत से मैं सर्वथा सहमत हूँ कि यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर कि इस देश की प्रतिनिधि संस्था, जो यह लोकसभा है, उसे इस संबंध में अपनी स्पष्ट राय देनी है, और उस राय को देने के बाद हमें उस राय के अनुसार सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें सरकार को पूरा-पूरा सहयोग भी देना है। प्रजातंत्र में प्रजा के पूर्ण सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता चाहे वह कोई काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। फिर यह तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है और ऐसे अवसर पर प्रजातंत्रवादी राष्ट्र को उसकी सारी प्रजा को, सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए।

मैंने यह बात कई बार कही है और मैं फिर इसे दोहराना चाहता हूँ कि अनेक ऐसी बातें हैं जिनमें कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी सब राजनीतिक दल मिलजुलकर काम कर सकते हैं। यह एक ठीक इसी प्रकार का अवसर है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूँ और कल इस सदन में इस संबंध में जो बहस हुई उससे भी यह पूरा परिणाम निकाला जा सकता है कि जहाँ तक हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धांतों का संबंध है वहाँ तक इस सदन का कोई दल, इस सदन का कोई भी सदस्य, उन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। कल मैंने बड़े ध्यान से अपने साम्यवादी दल के नेता का भाषण सुना। उन्होंने यह कहा कि मूल प्रश्न हमारी मूल नीति के समर्थन का है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 25

सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं, उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएँ और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएँ। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियाँ कसी जाएँ तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है।

मैं वित्तमंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की माँग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं, वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाएँ, केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्तमंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 26

सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े-बड़े और मौलिक उद्योग-धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहाँ बड़े-बड़े उद्योग-धंधे खड़े हुए, वहाँ छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग-धंधों की, जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग-धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग-धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग-धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएँ हैं।

बहुत-से उद्योग-धंधे ऐसे हैं, जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत-से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े-बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े-बड़े शहरों में नहीं, दूर-दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे, शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएँ पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग-धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियाँ तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत-से उद्योग-धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग-धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 27

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत-से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है और मैं समझती हूँ कि राजनैतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएँगे तो मैं समझती हूँ कि इन केंद्रों के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह-जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहाँ उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएँ हैं उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है उनके लिए केंद्र बनाए जाएँ और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएँ जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़ें, लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो ऐसे योग्य लोगों से सहायता ली जाए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 28

उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं, उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है, तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया, जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार चार बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया, तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार तीन बार, अपने राजदूत के माध्यम से, और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए, उनसे बातचीत करके, रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है।

प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता, अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते, जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं, बल्कि अमरीका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 29

महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूँकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा, किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है, तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें।

भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है। मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएँ बदली जाएँ, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके। इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तब यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे-से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन् यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो-दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथ के ताली नहीं बज सकती ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में लागू होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही को सहयोग से कार्य करना चाहिए।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 30

महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें। किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊँचा होना आवश्यक है उसको ऊँचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके, करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूँकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा।

महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षामंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दे और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब, आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊँची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया, तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उस को कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए।

इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था, तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में, मिडिल सेक्टर में, लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है, और बहुत-से लोगों को इस बात की आशंका है, कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया, तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 31

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट। लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे-धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो। क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं उस ढाँचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत वह है उनको सिंचाई के लिए कुएँ, गाँवों में उनके लिए पक्की सड़कें जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज्यादा स्कूल न खोले जाएँ पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली-भाँति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 32

श्रीमान्, मैं आपको बताऊँगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग-अलग विचार किया है, विशेष रूप से सबसे ऊँची सीमा बाँधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े-बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हों, कि उनका कार्य-संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बँटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह एक, दो या तीन एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊँची सीमा बाँध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछेक जो बड़े फार्म हैं उनमें काँट-छाँट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो तब तो ये जो अनगिनत छोटे-छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें।

सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे-धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुलकर खेती करना कहते हैं यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गाँव के सहकार से है और ज्यादा से ज्यादा दो, तीन गाँव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं। लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 33

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट-काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्तमंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी-बड़ी योजनाएँ अभी अधूरी हैं जिन का पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा, कोने-कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी-खुशी सहन करने को तैयार हैं परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून-पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियाँ हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं, वे दूर की जाएँ। किसान भारत की रीढ़ हैं अगर इनको सुविधाएँ दी जाएँगी तो देश आगे बढ़ेगा।

आज जहाँ देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया वहाँ एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कुल सहायता नहीं की लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफी काम हो रहा है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 34

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफी काम हो रहा है जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग-धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत-सी बातें कही हैं। जैसाकि यह विधेयक है इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत-सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों सबकी यह माँग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है बहुत-से माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं थोड़े में खास-खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढाँचे को बदलना पड़ेगा।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 35

महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है, वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गाँवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी जो अभी तक नहीं के बराबर हैं।

भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी-बड़ी मशीनें मँगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी महँगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी-छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं और न ही बहुत महँगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे-छोटे गाँवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूँजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूँजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है।

कुटीर-उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बँटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफी समय लग जाता है। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जाँच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरें, तो उन पर कार्रवाई करेंगे।



रामधारी खंड - 1

SHORTHANDGURU.COM



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 36

महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इंकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े, तो 480 चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं।

मैं यह जानता हूँ कि बहुत-से लोग जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं। परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढाँचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएँ कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएँ। वास्तव में यह सरकार, जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हम से कहा करते थे और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है, वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढाँचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है, उसका विरोध किया और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 37

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जाँचेंगे तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएँगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं।

जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में भी रखा गया हो, बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्तमंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है। लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं, वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्तमंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी यह मैं अवश्य देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने यह निश्चय किया था कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की जरूरत की चीजें पूरी कर दी जाएँगी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 38

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ-साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है, वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आँकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा।

सप्ताह में दो बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है इससे न केवल अनाज वरन ईंधन, तेल, कोयला आदि सब की बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है। वह भी सामूहिक, सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में दस प्रतिशत अन्न कौन खराब करता है। कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियाँ ठीक न होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा माँगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमन, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है। यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है इसलिए हम लापरवाह थे, इसीलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा, जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागें, तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी। यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 39

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था। लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। चूँकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्यप्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहाँ की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है।

पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर-चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसीलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा-सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है जैसाकि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में वे स्थितियाँ पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सकें। सदस्यों ने कहा है कि मध्यप्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 40

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहाँ तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है ? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीजों के लिए अलग-अलग विभाग हैं मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएँ पूरी होतीं। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कालेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं। खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं।

खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि-सुधार। इन सबकी ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 41

अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए।

आप बाहर से ट्रैक्टर मँगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। इन को जहाँ भेजना हो वहाँ सीधा भेजा जा सकता है। किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है। चूँकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए, खर्चा ज्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। उनकी हिम्मत आप न तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें। लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं। उनको बिजली नहीं मिल रही है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफी इंतजाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हों तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं। लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 42

अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है, लेकिन महँगाई बढ़ती जाती है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है वह महँगाई के कारण समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूँ। पहले अमरीका में यही किया गया जब वहाँ पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है इसका कारण वर्षा का न होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है।

मैं देखता हूँ कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं सम्झता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले दो वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। बीस वर्ष पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी, उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बाँध भी बना है किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी न मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं जिससे लाभ हुआ है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 43

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है बल्कि जो सन 1912 का कानून है, उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है।

श्रीमान इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनैतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज ऊँची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते। बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ, एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 44

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी-अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत-सी बातें कही हैं। जैसाकि यह बिल है इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत-सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं वह बहुत आवश्यक मालूमे हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा।

जहाँ तक सहकारिता का संबंध है चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों सबकी यह माँग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है बहुत-से माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हम ने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढाँचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है, हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 45

सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृहमंत्री का कितना महत्व है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती हैं। परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात् इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवंबर, 1962 को हम सब ने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके शब्द थे भारत की भूमि जब तक हम शत्रु से स्वतंत्र नहीं करा लेते तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा, भले ही वह कितना ही लंबा क्यों न हो। लेकिन कुछ दिन बाद आगे चलकर हमने राष्ट्रीय एकता सप्ताह या दिवस मनाना शुरू किया तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। उस प्रतिज्ञा के शब्द थे मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूँ कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तथा एकता की रक्षा करूँगा चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा बल के लिए तन-मन से काम करने की शपथ लेता हूँ। लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा-सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं इन्होंने लिखा; कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और जो शब्द बदल दिए गए हैं उनको भी मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए।

अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 1962 में संसद ने जो निर्णय किया था, क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है ? अगर सरकार अपने निर्णय से हट रही है तो यह जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा की शपथ में परिवर्तन किया गया है, इसका आधार क्या है?



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 46

सभापति महोदय, हम यह समझें कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है, जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृहमंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। दूसरी बात मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूँ। इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है, वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृहमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहाँ से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति अवश्य है जो आज भी पाँच दशकों के पश्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है।

उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था, तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस-किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आँकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी-कभी कुछ इस प्रकार के आँकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग हजार है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 47

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उस की सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा-जोखा रखे और एक वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा-जोखा सरकार के पास भेजे ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ।

इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृहमंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएँगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमरीका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है, तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज तीन बड़े-बड़े देश हैं जहाँ से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमरीका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े-बड़े शहरों में जाएँ, तो पता चलेगा।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 48

अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा-क्षेत्र में जाएँ या पिछड़े क्षेत्रों में जाएँ, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों में जाएँ तो वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की माँगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है, बिजली का भी काफी विकास हुआ है। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसे, देहातों के जीवन को पवित्र करें। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हम को कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख-सुविधाएँ मिलतीं, जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते।

देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थीं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन-देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन-देन का प्रश्न है, पहले 25 प्रतिशत तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं-कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है, इस वजह से कहीं-कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 49

सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एकमत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं।

मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊँचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है।

हमारे भाइयों ने बहुत-से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को चार बार दस-दस साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इस में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 50

सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों, ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दिल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, हमारे गृहमंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए।

माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन-सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी, आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार-बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भोंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 51

महोदय, योजना पर वाद-विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है, हालाँकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से, वह बात अब नहीं रह गई है। और हम विकास की ऐसी सीढ़ी। पर पहुँच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का। अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते।

अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में है और कार्य-संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। हमने पर्याप्त विचार-विमर्श और सोचने-समझने के बाद यह निश्चय किया कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग में निर्दलीय, स्वतंत्र विचारों वाले और गैर-राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार-विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है। जो सामान्यतः योजना के तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक-दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह योजना अगले चार वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा-पत्र है हमें कुछ अनुमान है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 52

महोदय, यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफी ब्यौरेवार विचार किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे बेरोज़गारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और उन्हें तत्काल दृढ़ निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमें काम करना होता है। कुछ मान्य तरीके हुआ करते हैं। इनमें से एक है लोकतंत्री प्रक्रिया। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इनमें से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं। लेकिन हम लोकतंत्री प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं, हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें अधिकाधिक जनता और पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैं समझती हूँ कि अगर इससे हमारी गति कुछ धीमी भी रहती है, तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसे बल मिलता है।

दूसरा तरीका मिश्रित अर्थव्यवस्था का है जिससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं हैं लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है। ऐसी अर्थव्यवस्था की अनेक त्रुटियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे देश में आज जो परिस्थिति है, उसमें हमारी सरकार हमारे पूर्ववर्तियों और आज के सहयोगियों - ने यह अनुभव किया कि हमें इस तरीके को अपनाकर चलना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसका कुछ परिवारों, गुप्तों, व्यावसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 53

महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमजोर करते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसान नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत-से लोग भड़का कर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभारकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिन का हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें।

श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूँ कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा, सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 54

महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का कर के हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिस के कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, उचित कार्य था? लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आएँ तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फँस कर न रहा जाए बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देशहित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सबका हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी-बड़ी सभाएँ की गईं। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जन-मानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियाँ हैं उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की।

प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियाँ राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही हैं, जनता को उन से सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियाँ और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है, उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 55

सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब, कोई भी कर से बच न पाए। लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी-सी छूट भी दी है। जो बड़े-बड़े पूँजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएँ दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है? वह जो चाहेंगे उसको करेंगे। लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ।

इस विषय पर तीन-चार दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सैट के ऊपर जो कर लगाया गया है, वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि, एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सैट के ऊपर कर न लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े।

भारत गाँवों में बसता है। 80 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गाँव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गाँवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चैन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गाँवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्तमंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आपको कहते हैं, और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह हैं भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य-निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि-प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएँ, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 56

सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी तीन-चार आने और दूसरे की दस बीस हजार रुपए है। अगर वित्तमंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे, तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागज़ी सिद्ध होगा। इस देश में आठ-दस करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्तमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं, उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है, और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी-बड़ी रकमों देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए।

यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक-ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, इसका क्या कारण है, यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 57

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूँ वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूँ कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है, उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं, वे आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली।

इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 58

उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किए जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ऐसी गरीबी जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब अवश्य देखने को मिलती थी लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूँ। देश के विकास के काम को बढ़ा कर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं। सरकारी उद्योगों की स्थिति अजीब है। हर संभव कोशिश से और सद्भाव बनाकर सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं और उन्हें रहने का अच्छा स्थान देते हैं। फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपके पास है, उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बोकारो के लिए छह सौ करोड़ रुपया रख रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक ओर महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है, उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है।

इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सिंचाई के लिए एक सिंचाई आयोग बनाएंगे। अच्छी बात है। मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर यह भी तो देखिए। जिस समय हमारे देश में कोसी बाँध का काम शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान ने एक बाँध पूरा कर लिया था। वहाँ उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहाँ इसका काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान नहर शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे यहाँ कोई ठीक तौर-तरीका नहीं है। मंत्रियों और सांसदों के मकानों के लिए करोड़ों रुपए निकल सकते हैं, मगर देश के उद्योग के लिए, देश के किसान और मजदूर के लिए जो रुपया चाहिए, वह नहीं मिल सकता। उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं। यह कोई उद्योग नीति नहीं है। यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कल सदन को बतला रहा था कि कुछ सड़कें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली थीं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 59

महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे-जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है।

अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं, तो उनमें कुछ-न-कुछ आशययुक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है। किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्स्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है जिसकी प्रायः मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फँसे रहने के कारण हम सही दिशा में और सोद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण, जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियाँ संसार के घटनाचक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएँ हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 60

महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, फिर भी, वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है, वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुँचा है, वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गाँठना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है, यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत-से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ-न-कुछ करना होगा, विशेष रूप में समाज कल्याण के क्षेत्र में। केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए।

अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज सेवा संस्थाएँ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को, स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा-करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहाँ पढ़े-लिखे और खाते-पीते लोग रहते हैं, कूड़ा-करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है जिससे स्थिति सुधर सकती है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 61

सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा, तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएँ। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएँ नहीं दी जाएँगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5000 या 7000 रुपए मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महँगी होती जा रही हैं। देश में महँगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महँगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन महँगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 62

सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएँ कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्तमंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्तमंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए-नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी-चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपए प्रति मील के हिसाब से रुपया माँगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जाँच हुई जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई है। अगर सब मामलों की जाँच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा उन्होंने दो करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर अहसान लाद दिया। लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूँ। आप इसकी जाँच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है।

इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं, उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी माँग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 63

अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्तमंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्तमंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि वित्तमंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात-निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्तमंत्री के लक्ष्यों व कर-नीति का आम तौर पर स्वागत करता हूँ। यद्यपि मैं मानता हूँ कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा। परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखना है, इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे, और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो कष्ट उठाकर के भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा।

इसलिए वित्तमंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूँ परंतु साथ ही साथ मैं नम्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि वित्तमंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं, उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्तमंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूँजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 64

अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्तमंत्री महोदय अपनी ही बात को, अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले दो तीन वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो अंसतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है।

जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर-नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तुस्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्तमंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आईं कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहाँ करोड़ों अनपढ़ तथा गाँवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब-किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहाँ ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं। और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 65

अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ-जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, उन को सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है।

इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएँ अखबारों के द्वारा जनता तक पहुँचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएँ प्रसारित होती हैं, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुँच पातीं। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आँकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इन आँकड़ों को देखें तो आप को ज्ञात होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 84 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सह-भाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएँ कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारु रूप से चलने लगे। जो आँकड़े हमें दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि पत्र-सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 66

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोक सभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है। लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा, तो यह बड़े दुख की बात होगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की माँगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है, वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70 प्रतिशत निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5 प्रतिशत और बढ़ जाए तो निर्यात से हम एक सौ करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें सौ करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, एक करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं, उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आप के दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा न हो, तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूँगफली देश में पैदा न हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 67

महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य-संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए और इस पर आपको अपने विचार-विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए।

काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ-सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ-साथ काम करते हैं श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है, तथा यह शायद अन्य सभी बातों से। ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन, इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालाँकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति-संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है। लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हों तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृतसंकल्प है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हों, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों न हों। सरकार, का यही संकल्प है।

सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बाँध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बाँध होता क्या है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 68

महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग-अलग खानों में बाँट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं। शायद वे सभी समाजों में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमजोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न-भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमजोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएँ जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है, इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं।

इसलिए संपूर्ण शिक्षा का, अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें, बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत-से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएँ अन्य वर्गों से कहीं ज्यादा महत्व की हैं। परंतु उनमें एकता नहीं है, उनकी माँग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ माँगें भी हैं। लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई माँगें नहीं हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 69

उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उस का आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें चार करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने एक सौ रुपए मन के भाव पर गेहूँ खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया, इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है।

एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज्यादा ध्यान न देकर पूँजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लगभग पाँच दशक पहले मैं जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के साठ लाख काशिकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे दस करोड़ आदमियों का पालन-पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर तीस ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16 हजार छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त कर के निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा-सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 70

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए, श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएँ हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस बिल का संबंध है मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहाँ का काम चलाएँ। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है, वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई, वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है, वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियाँ आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएँगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयाँ हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सकें और उन की भावना के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियाँ बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आएँ कि वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए।

गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहाँ की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपए से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। यह उचित नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 71

महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, यह पाँचवाँ समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। पहले-पहल जब 1922 में यहाँ आया था वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े-बड़े नेता जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्रायः यहाँ के भी नेता जेल में थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए, यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी। मैं तो उस समय नवयुवक था। हम दोनों यहाँ आए, यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले-पहल परिचय मिला। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। अब तो यहाँ पर कुछ-कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा। पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के तीन-चार स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है।

जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का, देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था वह काम देश के सौभाग्य, महात्मा गांधी की तपस्या और सब लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। पाँच-छह वर्ष बीत चुके जब से हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ के लोग अपना शासन स्वयं न चला रहे हों।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 72

महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है, उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख-सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएँगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी चाहे वह किसी भी काम में लगा हो उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देना होगा।

यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करे और उसको इस योग्य बनाए कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा-पद्धति अभी तक जारी है, वह नई नहीं है बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी, वह उद्देश्य अब नहीं रहा पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा-पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के तीन भाग होते हैं एक तो वह जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग-अलग हैं परंतु वे एक-दूसरे से मिलती-जुलती होती हैं, और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए।



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 73

महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुँचा हूँ, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है।

भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ रही हैं। परंतु ईश्वर की दया से हम एक-एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुलकर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना, जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, स्वाभाविक ही है। अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ उस समय उन्होंने और सब चीजों के साथ-साथ एक काम और किया, जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहाँ एक ओर अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था, वहाँ दूसरी ओर देशी नरेशों के अधीन से अधिक रियासतें भी थीं। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी रातों और बंधनों से मुक्त समझें, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी। परंतु यदि हमारे देशी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देशी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है।



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 74

महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एकछत्र शासन के अधीन रहा हो। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है पर संसार के और बड़े-बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएँ, किसी के साथ मिल जाएँ या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी नीति को अपनाया है और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत-से लोगों ने इसको नहीं समझा था पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और हम स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएँगे। हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश से मिलें तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिलें, उन्होंने तो बुरा माना ही। उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, धीरे-धीरे उन्होंने भी हमारी विदेशी नीति को समझा। आज संसार के लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है।

इतना ही नहीं बल्कि एक नए देश को जिसे स्वतंत्र हुए अभी 55 वर्ष ही हुए हैं जो स्थान मिल सकता है, उससे कहीं ऊँचा स्थान हमको मिल गया है और हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। मैं मानता हूँ कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएँ और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 75

महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहाँ भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए, उन सबको मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेश विभाग को बुरा-भला कहा। सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की हैं और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो, तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए। लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औज़ारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बंगलादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी।

इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है। प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे, हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित हैं और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए, तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी उन सेवाओं ने, जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी हैं, साहस और समर्पण का परिचय दिया है।

यदि कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है, तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश कि जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत-से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, न ही यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की और वह है हमारे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बंगलादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति से काम करने का महत्व है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 76

महोदय, 'मान्यता' शब्द की हर तरफ से माँग आई है, मानो कि मान्यता देने भर से ही वे बहुत-सी कठिनाइयाँ हल हो जाएँगी, जो बंगलादेश के लोगों के सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं और विशेषकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के समक्ष हैं। हमने इस प्रश्न के हर पक्ष पर बड़ी गहराई से सोच-विचार किया है। जैसाकि मेरे साथी ने बताया है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश इस विषय में क्या करते हैं। इस बारे में या अन्य मामलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे, वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयत भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें।

खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने पहले कहा और फिर से दुहराना चाहूँगी कि यह समय दलगत प्रतिद्वंद्विता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम हैं, उनमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को सहायता करनी चाहिए कि बंगला देश और शरणार्थियों का प्रश्न सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। मैं इन प्रश्नों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूँगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो, उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही, इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश न हों। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बंगला देश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 77

महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएँ हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और माँग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उस की जो कुछ भी सिफारिशें होंगी, वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं। परंतु दुख की बात है कि एक-दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बंटाने का विश्वास दिलाया है।

जब किसी देश के सामने बड़े-बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली-भाँति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों न हों, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक-दूसरे को समझा-बुझाकर किए जाएँ, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 78

महोदय, तो क्या आपस के छोटे-मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक-दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे। मैं जानता हूँ कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए-पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्यभारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझे और इसमें यथाशक्ति सहायता करे और इसको पूरा करा दें।

कल मैंने सुना और मुझे यह देखकर प्रसन्नता भी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष से आदमियों को बुलाया है और वे आकर काम कर रहे हैं। बहुधा ऐसा होता है कि ऊँचे-ऊँचे पदों पर बड़े-बड़े अधिकारी दूर-दूर से आते हैं पर जो काम कठिन समझा जाता है उसको स्थानीय लोग ही करते हैं। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊँचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं। परंतु इतनी दूर से आने-जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे, उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह देश इतना बड़ा है और इसके निवासी इतने अधिक हैं कि जब तक सब राज्यों के लोगों का परस्पर थोड़ा-बहुत परिचय कराने का विशेष प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक सबका सहयोग नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इस सारे देश को सदा ही एक माना और इसीलिए जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय की तो उन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों में चार मठ स्थापित किए। प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए चारों मठों का दर्शन करने का माहात्म्य है।



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 79

सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूँजीवादी नीतियाँ हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहाँ तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहाँ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ वहाँ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए।

हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहाँ यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहाँ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूँजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूँजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ देश के चंद लोगों की पूँजी, जो इन बैंकों के स्वामी थे, अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूँजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया। यह कदम स्वागत योग्य है। लेकिन जहाँ इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहाँ इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागज़ों में ही न बना रह जाए। आज के जमाने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 80

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे-छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गाँवों में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग-अलग तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गाँवों के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएँ बनानी पड़ेगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गाँवों और उन कस्बों को हो जहाँ अभी तक लोगों का काफी विकास नहीं हो पाया है। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीजें बुरी हैं तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70 प्रतिशत कृषि उत्पादन की चीजें शामिल होती हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 81

महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं हैं वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएँ खोली गईं और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे, और हिंदी के निकट थे। लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई।

अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है। लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा-भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा-भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बरुर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 82

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है, उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता, आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं, उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्रजीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं, वे हमारे सामने हैं और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए-नए संकट खड़े हो रहे हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षामंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत शतप्रतिशत सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षामंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जोकि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है, वह हमारे पड़ोसी से है और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की माँग कर रहा है। वे शस्त्र किस के विरुद्ध काम में लाए जाएँगे, इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है। किंतु प्रश्न है, क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज-सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहाँ की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय काश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहाँ तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है, भारत सौ प्रतिशत सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक काश्मीर का प्रश्न है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 83

महोदय, भारत ही नहीं, सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण महान परिवर्तनों की इयोदी पर खाकी के इन चीजों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु केवल ऊपरी तौर पर दी है। हमारे पास ऊँची-ऊँची और सुंदर-सुंदर इमारतें हैं। खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं। लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च जीवन के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का प्रयत्न किया एक मानव निर्माण करने का। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग-अलग खानों में बँटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताजा पानी कभी-कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता, और सामाजिक रीति-रिवाजों इत्यादि के सड़ते गढ़ों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, या आप अपने विचारों को खुलकर प्रगट कर सकते हैं इन सबके तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएँ उत्पन्न नहीं कर देते, जो हमारे लोगों के हर वर्ग और स्तर में समा जाएँ। प्रस्ताव पास कर देना बहुत सरल है, पर उसका कार्यान्वयन करना सरल नहीं।

हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछेक का किन्हीं दूसरी चीजों में। लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है **भय र कुछेक** का किन्हीं इस उसे परिवर्तित करने का भय। हम जानते हैं कि अमुक चीज बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम सकते हैं। इस तरह बड़े-बड़े परिवर्तन लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएँ कि परिवर्तन आवश्यक है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 84

महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी-न-किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी माँगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है। लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊँची-से-ऊँची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी-छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण उद्यम हैं। किंतु हमारी चुनौतियाँ तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं। हमें ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गाँव में गरीबी है और घर-घर में जात-पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हममें वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हममें क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा-सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा-सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए, तो भारत के लिए यह महान कदम होगा।

मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेहवृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प-शक्ति जो उन बहुत-सी चीजों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है, तो दोनों को लाभ पहुँचा है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 85

सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्दय-निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं, इन दोनों भागों में बहुत-सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उस को ठीक तरह से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज का ज्ञान देना है, किसी चीज को उन्हें सिखलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचाराधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए।

हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहाँ-जहाँ भी ढील दी गई है, वहाँ पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 86

सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहाँ पर नशाबंदी खुल गई है मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शराबबंदी लागू नहीं है वहाँ पर दिन-दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने परिस्थितियाँ हैं, नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में कल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक वर्ष के अंदर भी नहीं किए जा सके जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पाँच वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे, इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के जमाने में सब से आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था यानी जमीन उनको दी जाए जिन के हाथ जमीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है। एक तरफ करोड़ों एकड़ परती बंजर जमीन पड़ी है, जो कि सरकारी आँकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। इन जमीनों का उपयोग न होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत-मजदूर, भूमिहीन आदिवासी, हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ परती बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है। लेकिन उनका संगम, समागम नहीं होने दिया जा रहा है। इसीलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कहते कि परती बंजर जमीन को भूमिहीनों में बाँटने और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी। लेकिन इस में संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है किसान समस्येगा। राष्ट्रीय सससे उसका देना होगा। सुरक्षा के बाद की सहत आज तक नहीं हो सका है। यह कलकारया, इन्हीं कारणों से मैं किसान सहायता करनी चाहिए।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 87

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है।

आखिर इस बिल में कौन-सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था, उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियाँ और उपाधियाँ आदि बाँटी जाती थीं।

अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बाँटने का काम जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है? मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब भी उन्हें अवसर मिलता है किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जोकि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है?



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 88

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में, जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएँ हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर, शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आँकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएँ और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है, वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। देश के विभाजन के समय से लेकर हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को, मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों न रहा हो। देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया, उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया।

उसके पश्चात् भी जब-जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से तय करने का प्रयत्न किया। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बरताव रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा करता है, अगर वही रुख हम भी अपनाते, तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध आपसी सद्भाव और नैतिकता के आधार पर ही स्थापित रह सकते हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 89

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है, और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है। भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएँगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है जिसमें सौ प्रतिशत हरिजन तो हैं ही आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा, सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे।

यह मैं आशा करता हूँ और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसीलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ। नहीं तो अशांति फूटेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो। इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएँगे तो वह करेंगी और लोग जाएँगे तो वह कठिनाई में फँस जाएँगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 90

अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बँटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएँ अपनी-अपनी लिपि में लिखी जाती हैं, रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट 520 में किस प्रकार कहा गया ? रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई यह मैं कम से कम नहीं समझ 540 पाया। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है।

मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता- एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा। लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी इसलिए हमने विवश होकर, प्रेम से नहीं उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है यह। अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 91

महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है ? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊँच-नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमरीका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें जहाँ न पैसे की कमी है, न रोज़गार की, न दुनिया के सुख-साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती।

गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आँकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज़ पत्र लेकर नहीं आई हूँ। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय गृह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पाँवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं।

हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिक कर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों न पड़े। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज्यादा जोर से नहीं चीख सकते, इसका मुझे आपसे कहीं ज्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा, जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहाँ तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी, तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक न तो भारतीय हैं और न ही आदर्शवादी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 92

महोदय, प्रत्येक कदम, फूंक-फूंककर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गँवा दें। लेकिन स्वतंत्रता गँवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय, भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती हैं।

आपने बंगलूर की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्यसमिति में विचार-विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलूर में हमने केवल मौटे तौर पर नए सिरे से दिशा-निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता को एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी-न-किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनियाभर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था या छोटे-छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सबके प्रति विद्रोह करते थे, तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे।

ShorthandGuru.com



Telegram Channel: @SHORTHANDGURU [Ramdhari Khand 1 Online Skill Test CLICK HERE](#)

Website : SHORTHANDGURU.COM

Telegram Jarur Join Kre Free Online Test

रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 93

महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हममें से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी माँग रहती है।

खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेतीबाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोज़गार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि खेती के काम में कभी-कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता, खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है।

ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा। क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि एक घंटा प्रतिदिन कातने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है अर्थात् 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते-महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। कभी-कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु, इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी-आंदोलन आरंभ किया।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 94

महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था। तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कालेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएँ अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊँचे दर्जे की संस्थाएँ होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊँचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहाँ अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएँगे जो शिक्षा देने के साथ-साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कालेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं, वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ-साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं।

आजकल यह एक आश्चर्य की बात है पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो दो युद्ध हुए उनमें जहाँ एक ओर अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहाँ दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत-से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए न कि विनाश तभी भावी प्रगति होगी।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 95

अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की माँगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य चार बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है, तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए।

मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएँ बहुत काम करती हैं। इसलिए उन को खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएँ ज्यादा काम करती हैं। उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्यप्रदेश में इस वर्ष पाँनी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर पाँच मन बीज डाला था तो मुश्किल से दस मन गेहूँ ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं। उनको कोई सुविधा नहीं है। इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए।

आपको चाहिए कि आप गेहूँ की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीदकर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी-फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी-फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें, फरवरी-मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत-सी बातें कीं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 96

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं, वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए, वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है, वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय-भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएँगी, गाय-भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगुना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है।

हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएँ तो उनको असली हालत का पता चले। लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गाँवों में जाना चाहिए, वहाँ जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं। उनकी तरफ बहुत-सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलैक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बैल नीलाम किए जा रहे हैं, जमीन नीलाम की जा रही है। उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी, तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक पाँच सौ रुपया या तीन सौ रुपया या दो सौ रुपया लेखपाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है। और वे सब जगह परेशान होते हैं।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 97

महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब पंजाब के अंदर 45 प्रतिशत लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहाँ तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में, मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएँ किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सकें तो मैं समझता हूँ कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा।

अंतिम बात जिस को कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहाँ एक गर्मागर्मी का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इस की प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएँगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस-जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा चाहे मैसूर-महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी, या कृष्णा के जल का झगड़ा हो।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 98

महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आएँ तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में हैं, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहाँ बैंक सरकार के हाथों में हैं, फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए और आस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए।

जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है, उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। नए-नए लोगों में नई-नई आशाएँ जागी हैं। क्या ये आशाएँ पूरी की जा सकेंगी? अगर ये आशाएँ पूरी नहीं की गईं तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएँ जगाई हैं, हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है? समाजवाद मात्र इरादा नहीं है, इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज हो जाएगी। सरकार बहुत-से कारखाने चला रही है। कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएँ चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 99

अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है, गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा। हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा। उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें।

हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े बाँध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं, लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहाँ पर बिजली पहुँची भी है वहाँ के जो किसान हैं वे भी दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएँगे। फिर आपको कहाँ से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे। उपज बढ़ावे लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं दुनिया के जो बड़े-बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए।



रामधारी खंड - 1

प्रतिलेखन संख्या - 100

अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है, मैं कल से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि दो वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन-से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएँ।

आप जानते हैं कि इस देश में 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है? आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यन्नों का आयात काफी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहाँ लोग 80 प्रतिशत खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियाँ की हैं जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्यमंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी माँग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है, बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी देखने और सोचने की ही बात है। इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए।

